संख्या–2751/ III–2/06–49(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,
टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,
मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

विषय:– वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट तल्ली नारायण मंदिर मालभीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग लम्बाई 22.00 किमी0 (30मी0, व 12 मी0 स्पान पुल सहित) निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गया जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट तल्ली नारायण मंदिर मालभीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग लम्बाई 22.00 किमी0 (30मी0, व 12 मी0 स्पान पुल सहित) निर्माण कार्य के रूपये 620.98 लाख की लागत के आगणन पर, टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 469.72 लाख (रूपये चार करोड़ उन्हत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की श्री श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।
10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शा0सं0–452/ ... (1)/2005 दिनांक अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
रानीखेत

(6)

11. कार्य आरम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का अनुपालन किया जाय। टैण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो समस्त बचतें वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. अगली किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत-800 अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नये निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-1839/XXVII(2)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-278(1)/III-2/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अधिशासी अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

7 DEC 2006

पृ०सं० 2059/20 मुख्य अभियन्ता देहरादून दि० 28.11.2006

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा।
3. प्रतिलिपिक/लेखा शाखा।

मुख्य अभियन्ता